

अध्याय IV: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

एमएमटीसी लिमिटेड

4.1 निदेशकों की कार्य प्रबंधन समिति के निर्देशों का पालन न करने के कारण हानि

एमएमटीसी ने विदेशी आपूर्तिकर्ता से मांग जारी करने से पूर्व क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने में एमएमटीसी के निदेशकों की कार्य प्रबंधन समिति के निर्देशों (सितम्बर 2013) का पालन किए बिना मै. यूएमके, दक्षिण अफ्रीका से 43390 मी.टन मैंगनीज़ अयस्क का आयात किया (मई 2014)। चूँकि एमएमटीसी के पास प्रतिबद्ध खरीदार नहीं थे, इसलिए यह 14 महीनों तक अयस्क के अधिकांश भाग की बिक्री नहीं कर सकी और तत्पश्चात् इसने सामग्री के खरीद मूल्य से लगभग आधे मूल्य पर इसे बेच दिया (जुलाई 2015)। इस प्रकार, एमएमटीसी को कुल ₹6.60 करोड़ की निवल हानि हुई।

एमएमटीसी की निदेशकों की कार्य प्रबंधन समिति (एफएमसीओडी) ने अपनी 102^{वीं} बैठक (16 सितम्बर 2013) में मै. यूएमके दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी मूल के मैंगनीज़ अयस्क के एक शिपलोड (लगभग 40,000 मी.टन) के आयात की सैद्धान्तिक मंजूरी दी। अनुमोदन के अनुसार, एमएमटीसी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय को मैंगनीज़ अयस्क के विदेशी आपूर्तिकर्ता को मांग पत्र जारी करने से पूर्व क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, एमएमटीसी और श्रेणी-I क्रेताओं (जिन्हें खुला समुद्र बिक्री¹ आधार पर खरीद करनी थी) और श्रेणी-II क्रेताओं (जिन्हें स्टॉक और बिक्री² आधार के तहत एमएमटीसी से खरीद करनी थी) के बीच दो अलग-अलग करार किए जाने थे। सभी शर्तें और निबन्धन 'बैंक टू बैंक' आधार पर किए जाने थे। मांगपत्र जारी करते समय, 'खुला-समुद्र-बिक्री' और 'स्टॉक और बिक्री' आधार के मामले में क्रमशः 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कार्गो मूल्य की अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) पार्टी से ली जानी थी।

¹ हाई सी सेल (एचएसएस) कैरियर डाक्यूमेंट कंसाइनी द्वारा क्रेता को की जाती है जब माल अभी समुद्र में हो अथवा माल अपने मूल पत्तन/हवाई अड्डे से निकलने के बाद एवं गंतव्य पत्तन/हवाई अड्डे पर पहुँचने से पूर्व की स्थिति में हों। एचएसएस अनुबंध मूल स्थान से प्रेषण के बाद और गन्तव्य पत्तन पर पहुँचने से पूर्व किया जाता है।

² स्टॉक एवं बिक्री ऐसी बिक्री है जहां आयात के बाद माल गोदाम में रखा जाता है और आयातक के साथ सहमत कार्यक्रम के अनुसार क्रेता द्वारा इसे उठाना होता है।

तदनुसार, एमएमटीसी द्वारा आपूर्तिकर्ता, (मै. यूएमके) से की गई बातचीत के आधार पर मै. यूएमके ने साइट पर देय अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्र³ (एलसी) के माध्यम से 100 प्रतिशत भुगतान के प्रति अयस्क बेचने का प्रस्ताव दिया (04 मार्च 2014)। एमएमटीसी ने प्रस्ताव मान लिया (05 मार्च 2014) और आवश्यकतानुसार एलसी खोला (17 मार्च 2014)। करार करते समय कोई प्रतिबद्ध खरीददार नहीं था। मै. यूएमके के साथ करार करने के बाद एमएमटीसी ने हल्दिया पत्तन पर भेजे जाने हेतु मैगनीज अयस्क की सम्पूर्ण मात्रा (लगभग 19650 मी.टन) के लिए प्रतिबद्ध खरीददार की व्यवस्था की। तथापि, एमएमटीसी विजाग पत्तन को भेजे जाने वाले 23740 मी.टन मैगनीज अयस्क के विरुद्ध केवल 3000 मी.टन मैगनीज के लिए ही प्रतिबद्ध खरीदारों की व्यवस्था कर पाया। कंपनी ने सीआईएफ⁴ आधार पर 4.59 अमेरिकी डालर प्रति ड्राई मी.टन इकाई (पीडीएमटीयू) की दर पर 43,390 मी.टन मैगनीज अयस्क की कुल मात्रा का आयात किया। कार्गो का कुल मूल्य कुल खरीद मूल्य के दो प्रतिशत दर पर कंपनी के लगभग ₹0.86 करोड़ की मार्जिन सहित लगभग ₹43.00 करोड़ था।

मई 2014 में वास्तविक आयातित मैगनीज अयस्क की कुल 43,390 मी.टन मात्रा में से 23,740 मी.टन कार्गो विजाग पत्तन पर खाली कर दिया गया और शेष 19650 मी.टन मात्रा हल्दिया पत्तन पर उतारा गया। हल्दिया पत्तन की मात्रा को एमएमटीसी द्वारा ₹1.17 करोड़ के शुद्ध लाभ पर बेच दिया गया था। विजाग को भेजे जाने वाले 23740 एमटी कार्गो में से एमएमटीसी ने एचएसएस आधार पर अयस्क को नहीं बेच सकी तथा अयस्क के 23740 एमटी कार्गो का कस्टम बंधिन वेयरहाउस में भण्डारण कर दिया गया (10 मई 2014)। बाद में कस्टम बंधित वेयरहाउस से 3000 एमटी तथा 940 एमटी अयस्क की मात्रा क्रमशः मै. सुकृति मिनमेट प्राइवेट लिमिटेड (मई 2014) तथा मै. क्यूवीसी (जून 2014) को बेची गई। उसके बाद कस्टम बंधित वेयरहाउस से कार्गो की विलम्ब से निकासी पर ब्याज और जुर्माने से बचने के लिए एमएमटीसी ने सीमाशुल्क का भुगतान किया और सितम्बर 2014 में कार्गो छोड़ा।

³ साख पत्र एक दस्तावेज है; जो बैंक से यह मानते हुए जारी किया जाता है कि विक्रेता (लाभार्थी) को साख पत्र के राशि का भुगतान तभी प्राप्त होगा जब कुछ दस्तावेजी शर्तें पूरी कर ली जाए। यदि विक्रेता (आवेदक) खरीद पर भुगतान करने में असमर्थ हो तो लाभार्थी बैंक से भुगतान की मांग कर सकता है। बैंक लाभार्थी की मांग की जांच करेगा और यदि यह साख पत्र के अनुसार होगा तो वह मांग पर भुगतान कर देगा।

⁴ लागत, बीमा और भाड़ा (सीआईएफ) एक शर्त है जिसे विक्रेता द्वारा क्रेता के लिए गंतव्य तक समुद्र द्वारा माल ढोने के लिए व्यय वहन करना होता है।

चूँकि एमएमटीसी विजाग के कार्गो का लाभपरक परिशोधन करने में सफल नहीं हुआ, इसलिए इसने जैसा है जहाँ है आधार पर कार्गो की बिक्री के लिए अपनी वेबसाइट पर मूल्य परिपत्र जारी किया (जुलाई 2015) और लगभग ₹12,400 प्रति मी.टन के लागत मूल्य के प्रति ₹6500 प्रति मी.टन की दर से 11,000 मी.टन और ₹6550 प्रति मी.टन की दर पर बाकी मात्रा को विविध क्रेताओं को बेच दिया। हल्दिया पर एमएमटीसी द्वारा अर्जित ₹1.17 करोड़ के कारोबारी लाभ के समायोजन के बाद मै. यूएमके से मैगनीज अयस्क के आयात पर एमएमटीसी को ₹6.60 करोड़ की शुद्ध कारोबारी हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

एमएमटीसी ने विदेशी आपूर्तिकर्ता अर्थात् मै. यूएमके के साथ 05 मार्च 2014 को करार करने से पूर्व बैंक टू बैंक आधार पर आयात की जाने वाली सम्पूर्ण मात्रा हेतु प्रतिबद्ध खरीददारों की पहचान करने और उनके साथ एमओयू नहीं किया जैसा कि उपरोक्त आयात के लिए एफएमसीओडी द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी में अपेक्षित था।

एमएमटीसी द्वारा अपने खाते में कोई इन्वेंटरी रखने का कोई भी निर्णय जोखिम निर्धारण करने के बाद ही लिया जाना था जैसा कि 29 जनवरी 2008 को सम्पन्न हुई निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति की 41वीं बैठक में निर्णय किया गया था। इसके अतिरिक्त, 'स्टॉक एण्ड सेल' आधार पर कार्गो के निपटान के मामले में एमएमटीसी की जोखिम प्रबंधन नीति में भी मूल्य के किसी भारी गिरावट के मामले में 'स्टॉप लॉस' मानकों का निर्धारण आवश्यक था। तथापि प्रबंधन ने वर्तमान मामले में किसी 'स्टॉप लॉस' मानक का निर्धारण नहीं किया। परिणामस्वरूप, एमएमटीसी को विजाग पत्तन के कार्गो की संकटपूर्ण बिक्री के लिए 14 महीनों की प्रतीक्षा करनी पड़ी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015/अक्टूबर 2016)/अक्टूबर 2017) में बताया कि:

हल्दिया पत्तन पर उतारने हेतु भेजी गई पूरी मात्रा पत्तन पर जहाज के पहुँचने से पूर्व ही बेच दी गई/प्रतिबद्ध थी। तथापि इस तथ्य के कारण कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने निविदा में न्यूनतम बोलीदाता के रूप में एमएमटीसी के आने के बावजूद भी एमएमटीसी को कोई मात्रा आवंटित नहीं की, इसलिए सेल की निविदा को पूरा करने हेतु निर्धारित मात्रा लंबे समय तक बिना बिक्री के पड़ी रही।

विजाग पर इन्वेंटरी को रोकना आयात के समय नियोजित नहीं था। एमएमटीसी को अयस्क की मात्रा अवाई करने में सेल की विफलता और गिरती बाजार कीमतों के कारण एमएमटीसी

को माल स्टोर करने पर मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार कार्गो के भण्डारण से पूर्व कोई जोखिम निर्धारण नहीं किया गया।

मंत्रालय ने एमएमटीसी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत उत्तर (अक्टूबर 2017) की पुष्टि की (दिसम्बर 2017)।

मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त आयात के लिए एफएमसीओडी द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी के अनुसार प्रबंधन को मैगनीज अयस्क के विदेशी आपूर्तिकर्ता अर्थात् मै. यूएमके को मांगपत्र जारी करने से पूर्व खरीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करना चाहिए था। तथापि प्रबंधन ने एफएमसीओडी के उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप विजाग पत्तन पर उतारा गया, मैगनीज अयस्क का अधिकांश भाग 14 महीनों तक बिना बिके पड़ा रहा क्योंकि कोई भी प्रतिबद्ध खरीददार नहीं था। इसके अतिरिक्त, सेल से किसी निश्चित प्रतिबद्धता किए बिना 20,000 मी.टन मैगनीज अयस्क की मात्रा के लिए फरवरी 2014 में सेल द्वारा निकाली गई निविदा पर प्रबंधन की निर्भरता को विवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार, मैगनीज अयस्क के विदेशी आपूर्तिकर्ता अर्थात् मै. यूएमके को मांगपत्र जारी करने से पूर्व खरीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के निदेशकों की कार्य प्रबंधन समिति के निर्देशों का पालन न करने के कारण एमएमटीसी को ₹6.60 करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा, कोई 'स्टॉप लॉस' निर्धारित करने में चूक के परिणामस्वरूप मैगनीज अयस्क के निस्तारण में 14 महीनों की देरी हुई।

पीईसी लिमिटेड

4.2 ठेके की अप्रभावी निगरानी के कारण प्राप्यों की वसूली न होना

पीईसी को गोदाम में भंडारित माल की अप्रभावी निगरानी, प्रतिबद्ध माल की नीलामी में अकुशल और अप्रभावी निर्णय लेने तथा प्रबंधन की ओर से पोस्ट डेटेड चेक का नकदीकरण करने में देरी के कारण ₹11.21 करोड़ की निधि तथा उस पर ₹7.29 करोड़ का ब्याज 10 नवम्बर 2017 तक, अवरूद्ध हुई।

मै. ओशिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (ओआईपीएल), जिसे पहले मै. कुबेर स्टील इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता था, ने इस्पात उत्पादों के अलग क्रेताओं के साथ किए गए आपूर्ति करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से विभिन्न आकार के हॉट रोलड स्टील क्वाइल खरीदने के लिए पीईसी लिमिटेड से वित्तपोषण करने का

अनुरोध किया (अगस्त 2010)। तदनुसार, पीईसी ने 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के लिए ओआईपीएल के कई खरीद प्रस्तावों का वित्तपोषण किया। 01 जनवरी 2014 से 7 मार्च 2014 की अवधि के दौरान पीईसी ने ओआईपीएल की ओर से अलग-अलग घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से 2882.992 मी.टन हॉट रोलड स्टील क्वाइल खरीदने के लिए ओआईपीएल के साथ आठ एसोसिएटशिप करार किए। उपरोक्त आठ करारों में कुल खरीद मूल्य ₹12.50 करोड़ था। सभी करारों में निहित समान नियम व शर्तों के अनुसार, ओआईपीएल को नगद जमानत राशि के रूप में साख पत्र (एलसी) के मूल्य की 15 प्रतिशत राशि अग्रिम में पीईसी को भुगतान करना था जिसे अंतिम खेप की प्राप्ति के बाद समायोजित कर दिया जाना था। पीईसी ओआईपीएल द्वारा एलसी खोलने के बाद ठेकागत कार्गो के मूल्य में वृद्धि के मामले में ओआईपीएल को मूल्य अन्तर के लिए अतिरिक्त अग्रिम का भुगतान करना था। ओआईपीएल को खेप के कुल मूल्य के 90 प्रतिशत के प्रति पोस्ट डेटेड चेक भी देना था। ओआईपीएल से उपरोक्त अनुसार मांगपत्र और अग्रिम की प्राप्ति पर पीईसी को आपूर्तिकर्ता के पक्ष में 120 दिनों की अधिकतम उपयोग अवधि की एलसी बनायी जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, ओआईपीएल को सांविधिक कटौती, यदि कोई हो तो, के बाद पीईसी के शुद्ध कारोबारी मार्जिन के अनुसार एलसी के कुल मूल्य का 1.5 प्रतिशत का भुगतान करना था। माल को सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीडब्ल्यूसी) की अभिरक्षा और नियंत्रण के अंतर्गत एक निजी गोदाम में रखा जाना था, जिसके लिए 8 नवम्बर 2013 को पीईसी, सीडब्ल्यूसी, ओआईपीएल और मै. जीत स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक भण्डारण करार किया गया था, जहां से पीईसी द्वारा पूरी मात्रा ओआईपीएल को बेची जानी थी। पीईसी को क्रय मूल्य पर तुरन्त 1.5 प्रतिशत कारोबारी मार्जिन लगाकर इंवाइस जारी कर ओआईपीएल से मांग करनी थी। ओआईपीएल को माल के प्रथम प्रभार के साथ पीईसी के पक्ष में सामग्री की वचनबद्धता देनी थी (वचनबद्धता करार पर हस्ताक्षर करके)। ओआईपीएल के अनुरोध पर माल की विनिर्दिष्ट मात्रा के ओआईपीएल के अनुरोध पर ऐसी अनुरोध की गई मात्रा के प्रति पीईसी द्वारा पूरा भुगतान प्राप्त करने पर अवमुक्त कर देना था। यदि ओआईपीएल पूर्व निर्धारित अनुसूची के अनुसार खेप की पूरी कीमत का भुगतान नहीं कर पाता तो पीईसी को ओआईपीएल के जोखिम और लागत पर माल किसी अन्य पार्टी को बेचना था और यदि मार्जिन राशि समायोजित करने के बाद पीईसी को कोई हानि होती तो ओआईपीएल को पीईसी द्वारा उठाई गई ऐसी हानि को वहन करना था। इसके अतिरिक्त, आठ करारों के खण्ड 13 के अनुसार यदि पीईसी के पास धनराशि न हो या पीईसी की निधि अवरूद्ध हो तो ओआईपीएल को मासिक दर आधार पर 180 दिनों तक 14.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और 181वें दिन से 365 दिनों तक 15.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 365 दिनों से अधिक के लिये जैसा कि पीईसी द्वारा निर्धारित किया जाए, ब्याज का भुगतान करना था।

उपरोक्त उल्लिखित आठ करारों के अनुसार विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से 2882.992 मी.टन मात्रा की कुल माल खरीद के क्रम में पीईसी ने ₹12.50 करोड़ राशि के लिए ओआईपीएल की ओर से 2 जनवरी 2014 और 13 मार्च 2014 के बीच आठ एलसी खोले। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भेजा गया माल जेआईएसपीएल के संयंत्र परिसरों में और पीईसी के पक्ष में गिरवी रखा गया था।

उपरोक्त करार की शर्तों के अनुसार, ओआईपीएल को एलसी की निर्धारित तिथियों अर्थात् 03 मई 2014 से 12 जुलाई 2014 तक पीईसी को कुल ₹11.21 करोड़ राशि का भुगतान करना था (पीईसी द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त एलसी मूल्य का 15 प्रतिशत अर्थात् ₹1.88 करोड़, ₹0.19 करोड़ का कारोबारी लाभ अर्थात् इंडास और बैंक प्रभारों, कानूनी व्यय आदि सहित के कुल मूल्य का 1.5 प्रतिशत समायोजित करने के बाद)। ओआईपीएल ने स्टॉक नहीं उठाया, इसलिए पीईसी को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को एलसी की निर्धारित तिथियों पर ₹12.50 करोड़ का भुगतान अपनी निधियों से करना पड़ा था।

पीईसी ने 07 जुलाई 2014 को गिरवी स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया और 2882.343 मी.टन के कुल 125 हॉट रोलड स्टील क्वाइल की पहचान की जैसा कि सीडब्ल्यूसी द्वारा 1 जुलाई 2014 को जारी स्टॉक प्रमाणपत्र में उल्लेख था। बाद में 29 अक्टूबर 2014 को पीईसी द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर पता चला कि 125 क्वाइलों में से केवल 65 क्वाइल ही एक समान पाए गए। पीईसी की भौतिक सत्यापन टीम ने सीडब्ल्यूसी को गिरवी स्टॉक की समुचित डीमार्किंग के लिए क्वाइलों पर स्थायी मार्कर/पेंट लगाकर एक ही स्थान पर इन्हें रखने का सुझाव दिया। सीडब्ल्यूसी ने भण्डारण करार समाप्त करने का नोटिस दिया (29 अक्टूबर 2014) और पीईसी से 30 नवम्बर 2014 तक या उससे पहले गोदाम खाली करने को कहा। इसी बीच जब पीईसी द्वारा बैंक में ओआईपीएल द्वारा प्रदत्त पोस्ट डेटेड चेक (₹11.50 करोड़ मूल्य का) जमा किये गये (अक्टूबर 2014 तथा नवम्बर 2014) तो वे बाउंस हो गये। पीईसी ने पुलिस के पास सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई (28 नवम्बर 2014) जिसके आधार पर पुलिस द्वारा की गई जांच से यह भी पता चला (8 जनवरी 2015) कि स्टॉक गायब था। पीईसी ने इस संबंध में ओआईपीएल, सीडब्ल्यूसी और गोदाम मालिक अर्थात् जेआईएसपीएल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया (21 जनवरी 2015)। इस दौरान सीडब्ल्यूसी ने स्टॉक की जिम्मेदारी लेने में अपनी असमर्थता पीईसी को बताते हुए अन्तिम नोटिस दिया (03 जनवरी 2015)। पीईसी ने पोस्ट दिनांकित चेको के अनादर के लिए निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया (जनवरी 2017)। पीईसी के मुंबई शाखा कार्यालय द्वारा अपने

निगमित कार्यालय को दी गई सूचना (जनवरी 2017) के अनुसार मामला आर्थिक अपराध विंग के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।

इस प्रकार पीईसी को ओआईपीएल से ₹11.21 करोड़ मूलधन एवं उन पर ₹7.29 करोड़ ब्याज की राशि (10 नवम्बर 2017 तक) वसूल करनी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (i). ओआईपीएल से भुगतान प्राप्त न होने की वजह से पीईसी को 3 मई 2014 से 12 जुलाई 2014 के बीच अपने स्वयं के धन से आपूर्ति कर्ताओं को भुगतान जारी करना था। तथापि, सुरक्षा के रूप में उपलब्ध ₹11.50 करोड़ मूल्य के पोस्ट दिनांकित चेक, अक्टूबर 2014 व नवम्बर 2014 में बैंक में पीईसी द्वारा जमा किए गए, जो बाद में बाउंस हो गए। इस प्रकार पीईसी की तरफ से पोस्ट दिनांकित चेक का नकदीकरण करने में अनुचित देरी हुई।
- (ii). सामग्री का अन्तिम खेप 13 मार्च 2014 को प्राप्त हुई, लेकिन पीईसी ने जुलाई 2014 में भौतिक सत्यापन किया। जेएसआईपीएल के अहाते में सामग्री के भण्डारण में कुप्रबन्धन पाये जाने व सामग्री एक स्थान पर नहीं रखे होने की जानकारी पीईसी को हो चुकी थी। 29 अक्टूबर 2014 को पीईसी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन से पता चला कि सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट के अन्तर्गत उपलब्ध 125 काँयल में से 60 से अधिक काँयल को चिन्हित नहीं किया गया था तथा साथ ही सीडब्ल्यूसी की कोडिंग के साथ चिन्हित काइल्स की तुलना में भी काफी नए दिखाई दिए। उपरोक्त स्थिति के बारे में पता चलने के बावजूद भी पीईसी ने सामग्री का कब्जा नहीं लिया और जोखिम व ओआईपीएल की लागत पर ही परिसमापन के लिए कार्रवाई शुरू की गई। पीईसी ने गिरवी पत्र का लागू करने का निर्णय लिया और 13 नवम्बर 2014 को ही माल संलग्न कर दिया। सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट की प्रमाणिकता के सत्यापन तथा सामग्री के भण्डारण की स्थिति पर पीईसी द्वारा अकुशल और अप्रभावी प्रबंधन का पता चला।
- (iii). पीईसी ने गिरवी रखे गए स्टॉक की सुरक्षा करने में विफलता के लिए सीडब्ल्यूसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए भण्डारण समझौते में दंड की धारा शामिल करने पर जोर नहीं दिया।
- (iv). भण्डारण समझौता (नवम्बर 2013) की शर्तों के अनुसार ओआईपीएल द्वारा गोदाम में संग्रहीत सामग्री के मूल्य के 110 प्रतिशत के लिए चोरी, बाढ़, अग्नी, शास्ति, दंगा, चोरी

आदि जैसे सभी जोखिमों को कवर करने के लिए अपने व्यय पर बीमा की व्यवस्था करना आवश्यक था। यह भी देखा गया कि पीईसी को लाभार्थी के रूप में माना गया। समझौते के अनुसार ओआईपीएल दावा करने एवं उसकी प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होगा, अगर निश्चित समय में बीमा दावे का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा ओआईपीएल को नहीं किया जाता है, ओआईपीएल, बीमा कम्पनी के पास दावे के लम्बित होने का तर्क दिये बिना पीईसी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

पीईसी ओआईपीएल द्वारा समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में विफल रहा, क्योंकि समझौते के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत ओआईपीएल ने स्टैंडर्ड आग, विशेष संकट और चोरी बीमा पॉलिसी ली तथा उस का नवीनीकरण 22 दिसम्बर 2015 तक कराया। पीईसी ने भी ओआईपीएल द्वारा स्टॉक के गबन के जोखिम का पहले से अनुमान नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप पीईसी इस मामले में बीमा दावे को दर्ज कराने में असमर्थ रहा।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जनवरी 2018) में बताया है कि:

1. पीईसी 3-4 साल से सहयोगी के रूप में काम कर रहा था और इसका ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक था। जुलाई 2014 में, ओआईपीएल ने पीईसी को जुलाई 2014 के भीतर आंशिक भुगतान करने का आश्वासन दिया था और शेष राशि अगस्त 2014 में पूरी की जानी थी। जब ओआईपीएल प्रतिबद्धता पूरा करने में विफल रहा तो अक्टूबर 2014 में नए चेक प्राप्त हुए और बैंक को प्रस्तुत किये गये। पीईसी ने आगे बताया कि चेक अस्वीकृत होने के बाद पीईसी ने सहयोगी के खिलाफ निगोटिएबिल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दायर किया था।
2. साप्ताहिक रिपोर्टों एवं सीडब्ल्यूसी के पत्र के अनुसार काँयल का अव्यवस्थित तरीके से भंडार किया गया था और स्टॉक दूसरी पार्टी के स्टॉक के साथ मिश्रित हो गया था। पीईसी ने सीडब्ल्यूसी को स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र लिखा। पीईसी ने सीडब्ल्यूसी को सितम्बर 2014 में किए गए सामग्रियों के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों के बारे में भी पत्र लिखा। पीईसी ने आगे बताया कि सीडब्ल्यूसी, पीईसी की सामग्री के संरक्षक और सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण किसी भी कार्रवाई से पहले, पाई गई विसंगतियों के बारे में सीडब्ल्यूसी के विचार प्राप्त करना आवश्यक था। लेकिन सीडब्ल्यूसी ने पीईसी के किसी भी पत्राचार का जवाब नहीं दिया।
3. पीईसी के वित्त विभाग और कानूनी प्रभाग द्वारा भंडारण अनुबंध समझौते का पुनरीक्षण किया गया था।

4. ओआईपीएल के साथ समझौते के अनुसार सामग्री के बीमा से संबंधित शर्तों का विधिवत पालन किया गया।

मंत्रालय ने पीईसी प्रबंधन के जवाब का समर्थन किया (जनवरी 2018)।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सहयोगी का पिछला संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड पीईसी द्वारा पोस्ट-दिनांकित चेक आहरण में की गई अनुचित देरी को सही नहीं ठहरा सकता। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे कि सीडब्ल्यूसी गोदाम में खराब भंडारण की स्थिति के बारे में जानकारी होने के बावजूद, पीईसी ने सामग्री का अधिकार नहीं लिया और ओआईपीएल के जोखिम और लागत पर स्टॉक के परिसमापन के लिए शीघ्र कार्रवाई शुरू नहीं की पर मंत्रालय का उत्तर मौन है। पीईसी द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता थी। तथापि, पीईसी ने गिरवी पत्र को इनवोक करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की और 13 नवम्बर 2014 को ही सामान कुर्क करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, समझौते में इस शर्त के लिए सहमत होते समय कि ओआईपीएल दावों, यदि कोई हो, को दायर करने और उनकी प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगा, पीईसी ने स्वयं ओआईपीएल द्वारा ही माल को गबन करने के जोखिम का अनुमान नहीं लगाया। परिणामस्वरूप, पीईसी इस मामले में बीमा दावे को दर्ज कराने में असमर्थ रहा।

इस प्रकार प्रबंधन द्वारा संग्रहीत सामग्री की अकुशल निगरानी, गिरवी स्टॉक को कुर्क करने में अक्षम और अप्रभावी निर्णय और पोस्ट-दिनांकित चेकों के नकदीकरण के लिए कार्रवाई में देरी के कारण ₹11.21 करोड़ की पीईसी की निधि और इस पर ₹7.29 करोड़ के ब्याज (10 नवम्बर 2017 तक) की राशि अवरूद्ध रहे और ओआईपीएल से इसकी प्राप्ति की संभावनाएं दूरस्थ थीं।